

**न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला**  
**जिला बैतूल**

दांडिक प्रकरण क :- 241/12

संस्थापन दिनांक:-28/05/12

फाईलिंग नं. 233504001002012

मध्यप्रदेश राज्य  
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,  
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

**वि रू द्ध**

सुकडू तिपा मोहन गोंड  
 उम्र 60 वर्ष, निवासी बोरी,  
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्त**

**:- (नि र्ण य ) :-**

**(आज दिनांक 24.10.2017 को घोषित)**

- 1 अभियुक्त के विरुद्ध धारा 34(1)(ए) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत आरोप है कि उसने घटना दिनांक 25.05.2012 को समय शाम करीब 06:00 बजे ग्राम बोरी स्थित अपने घर पर स्वयं के आधिपत्य में 20 लीटर महुंआ शराब अवैध रूप से आधिपत्य में रखी।
- 2 प्रकरण में अभियुक्त द्वारा धारा 294 दं.प्र.सं. का आवेदन पत्र पेश कर अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों एवं दस्तावेजों को स्वीकार किया गया है एवं धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य न होने पर अभियुक्त का धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत परीक्षण नहीं किया गया।
- 3 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 25.05.2012 को थाना प्रभारी आर.के. दुबे को मुखबिर से सूचना मिली की ग्राम बोरी में अभियुक्त अवैध रूप से महुंआ शराब बिक्री करने की गरज से रखा है। सूचना पर वह हमराह स्टाफ एवं साक्षीगण के मौके पर पहुंचा और अभियुक्त के कब्जे से 20 लीटर महुंआ शराब हाथ भट्टी की गवाहों के समक्ष जप्त किया। अभियुक्त का कृत्य धारा 34-ए आबकारी अधिनियम के अधीन पाये जाने पर अभियुक्त को गिरफ्तार किया तथा थाने वापस आकर अपराध क्र. 192/11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।
- 4 प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि अभियुक्त द्वारा अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों को स्वीकार कर लिये जाने के कारण अन्य साक्षियों को परिक्षीत नहीं कराया गया है।

5 अभियुक्त द्वारा दिनांक 24.06.2013 को निर्णय की कंडिका 01 में वर्णित आरोप अस्वीकार कर विचारण चाहा गया था परंतु दिनांक 24.10.2016 को धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत अभियुक्त परीक्षण में अभियोजन की समस्त कार्यवाहियों को स्वीकार किया गया है।

6 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह हैं :-

1. क्या अभियुक्त ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर स्वयं के आधिपत्य में 20 लीटर महुंआ शराब अवैध रूप से आधिपत्य में रखी ?
2. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

### विचारणीय प्रश्नों का निराकरण

7 अभियुक्त द्वारा धारा 294 दं.प्र.सं. का आवेदन प्रस्तुत कर स्वेच्छयापूर्वक अपराध किया जाना स्वीकार किया गया, साथ ही अभियोजन की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों को स्वीकार किया गया। अभियोजन की ओर से कोई तात्त्विक त्रुटि विद्यमान नहीं है। अतः अभियुक्त को अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर धारा 34(1)ए आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दोषसिद्ध पाते हुये धारा 34(1)ए आबकारी अधिनियम के तहत 1,200/- रुपये के अर्थदण्ड एवं न्यायालय उठने तक की सजा दी जाती है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड व्यतिक्रम की दशा में पृथक से 15 दिन का सादा कारावास भुगताया जाये।

8 प्रकरण में जप्तशुदा 20 लीटर हाथ भट्टी महुंआ शराब अपील अवधि पश्चात नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

9 अभियुक्त के मुचलके उसके स्वयं के निवेदन पर दं.प्र.सं. की धारा 437(ए) की शर्तों के अंतर्गत आगामी छह माह तक प्रभावशील रहेंगे एवं तत्पश्चात स्वमेव उन्मोचित हो जावेंगे।

10 अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.सं. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित  
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
आमला, बैतूल (म.प्र.)

